2113 Deed of Gift

1895 5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

1448 × 45-36
65681.28
200 × 200
40000
105681

Prepaid

Adv 4280=00

Stamp 6600/
150/
6750/

दान–पत्र

लेख्यकारी – (दानदाता) श्री इन्द्रदेव प्रसाद सिन्हा, पिता–स्व0 मुंशी गुदड़ीलाल, जाति– कायस्थ, कौम–हिन्दु, पेशा–पेंशनधारी, साकिन मोहल्ला–विलियम्स टाउन, जटाही मोड़, देवघर, थाना, सबडिविजन, सबरजिस्ट्री व जिला–देवघर।

लेख्यधारिणी :– (दानग्रहित्री) श्रीमती सोनिया सिन्हा, पति–श्री कृष्णकिशोर प्रसाद सिन्हा जाति–कायस्थ कौम–हिन्दु, पेशा–गृहिणी, साकिन मोहल्ला–विलियम्स टाउन, जटाही मोड़, देवघर, थाना, सबडिविजन, सबरजिस्ट्री व जिला–देवघर झारखण्ड।

लेख्य प्रकार – दान–पत्र दलील।

ATTESTED
NOTARY REGD No.-225/04
GOVT. OF JHARKHAND
DEOGHAR (JHARKHAND)

Krishna Kishore pd sinha
सोनिया सिन्हा।

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

कीमत जायदाद– मो0 1,07,000/– रूपये (एक लाख सात हजार रूपये)

विवरण जायदाद – थाना नं0 253, जिला, सबडिविजन व सबरजिस्ट्री–देवघर, थाना–देवघर, सामिल मौजा–सलौनाटांड़ के अंदर मोहल्ला विलियम्स टाउन के अंदर बसौड़ी सत्व की जमीन टाउन प्लॉट नं0 286 का अंश रकवा 1448 वर्गफीट मय तदुपस्थित ~~[illegible]~~ 200 वर्गफीट में ईट का दीवाल पर खपड़ा की छावनी का मकान अंदर जमाबंदी नं0–21/3432 फ, अंदर हल्का–देवघर नगरपालिका, वार्ड नं0–10, होल्डिंग नं0–766 का अंश मय कुल हक हकुक दान दिया जिसकी चौहदी :–

उत्तर :– रास्ता (15 फीट)।

दक्षिण :– कृष्ण किशोर प्रसाद सिन्हा के हिस्से का जमीन।

पूरब :– 10फीट चौड़ा रास्ता।

पश्चिम :– राज बिहारी सिंह का मकान।

ATTESTED
8/10/18
NOTARY(REGD No.-225/04
GOVT. OF JHARKHAND
DEOGHAR(JHARKHAND)

Krishna Kishor Pd sinha
सोनिया सिंह।

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

विदित हो कि देवघर टाउन मौजा सालैनाटांड़ विलियम्स टाउन के अंदर बसौड़ी सत्व की जमीन टाउन प्लान प्लॉट नं0–286 का अंश रकवा 9000 वर्गफीट अंदर जमाबंदी नं0–21/3432, फ अंदर हल्का–देवघर नगरपालिका, वार्ड नं0–10, होल्डिंग नं0–766 में स्थित को मुझ दानदाता की पत्नी अधुनामृत धनेश्वेरी देवी ने दिनांक–30.06.1978 ई0 को देवघर निबंधन कार्यालय में निबंधित एक कीता खोश केवाला दलील जिसकी पुस्तक संख्या–01, जिल्द संख्या–22, पृष्ट संख्या– 164 से 169 तक में निबंधित, दस्तावेज संख्या–3131 वर्ष–1978 के द्वारा उक्त सम्पति के भूतपूर्व मालिक श्री हृदय रंजन सिन्हा, पिता– स्व0 राजेन्द्र नाथ सिंहा, ग्राम– बैजनाथधाम देवघर थाना देवघर के निवासी से खरीदकर उस पर दखल कब्जा लेकर निर्विवाद रूप से उक्त खरीदगी सम्पति पर दखलकारिणी व भोगवती होकर अंचल कार्यालय देवघर में मोटेशन केश नं0– 120/83–84 के आदेश दिनांक– 28.10.83 के अनुसार अपने नाम से नामांतरण करवाकर उक्त जमीन का खजाना आदि अदाय करती हुई एवं नगरपालिका

Krishna kishor pd sinha

सोनिया सिन्हा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND 028566

कार्यालय देवघर में होल्डिंग टैक्स आदि का भुगतान करती हुई उक्त जमीन टाउन प्लान प्लॉट नं0 286 का अंश खरीदगी रकवा 9000 (नौ हजार) वर्गफीट में से रकवा 2752 (दो हजार सात सौ बावन) वर्गफीट जमीन अपने जीवनकाल में ही बिक्री कर चुकी थी।

उक्त धनेश्वरी देवी अपने शेष जमीन रकवा 6248 वर्गफीट जमीन मय मकान का दखल भोग करती हुई स्वर्ग सिधार गई, एवं उनके मरणोपरान्त उनके उपरोक्त सम्पति उसके पति अर्थात दानदाता श्री इन्द्रदेव प्रसाद सिन्हा एवं तीन पुत्र श्री कृष्ण किशोर प्रसाद सिन्हा व योगेन्द्र किशोर प्रसाद सिन्हा एवं श्री राम किशोर प्रसाद सिन्हा तथा उक्त योगेन्द्र किशोर प्रसाद सिन्हा के मरणोपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती शैलजा सिन्हा, पति स्व0 योगेन्द्र किशोर प्रसाद सिन्हा ने इजमाल रूप में कानूनन प्राप्त किया एवं वे सभी उक्त सम्पति का दखल भोग संयुक्त रूप से निर्विवाद रूप से करने लगे।

यह भी विदित रहे कि तदन्तर उपरोक्त दानदाता श्री इन्द्र देव प्रसाद सिन्हा, कृष्ण किशोर प्रसाद सिन्हा, राम किशोर प्रसाद सिन्हा एवं स्व0 योगेन्द्र किशोर प्रसाद सिन्हा की धर्मपत्नी

Krishna Kishor pd sinha

सोनिया सिन्हा

ATTESTED 8/10/18 NOTARY (REGD No.-225/0.. GOVT. OF JHARKHAND DEOGHAR

शैलजा सिन्हा ने दिनांक– 10.09.2007 ई0 में एक कीता आपसी बंटवारानामा दलील पत्र का सम्पादन करते हुए उसका बंटवारा कर लिया जिस आधार पर उक्त दानदाता श्री इन्द्रदेव प्रसाद सिन्हा जो उक्त बंटवारा नामा दलील में प्रथम पक्ष है अपने हिस्से में तफशील ''क'' में वर्णित सम्पति अर्थात उक्त खपड़ैल मकान एवं जमीन कुल रकवा 1448 वर्गफीट जिसका पूरा उल्लेख उपर खाना विवरण जायदाद में वर्णित सम्पति दर्ज है को पाकर मैं दानदाता अपने हिस्से की सम्पति का एकाएक मालिक हुए एवं तदनुसार सरजमीन पर उसका दखल भोग शांतिपूर्वक ढंग से करने लगे एवं अभी तक करते आ रहे हैं, जिनसे उनके किसी भी पुत्र या पुत्रबधु का किसी भी तरह का सरोकार, दखल कब्जा या लेना देना नहीं रहा और न वे लोग भविष्य में कभी विषयगत उपरोक्त सम्पति जो दानदाता श्री इन्द्रदेव प्रसाद सिन्हा की एकाएक अपनी सम्पति है पर किसी तरह का कानूनी रूप से दावा दावी या हस्तक्षेप करने का अधिकारी है क्योंकि वे लोग भी अपने–अपने हिस्से में प्राप्त जमीन मकानादि का दखल भोग निर्विवाद रूप से करते आ रहें हैं जिससे श्री इन्द्रदेव प्रसाद सिन्हा का भी कोई सरोकार दावा–दावी, हक हकूक या कानूनी अधिकार नहीं रह गया है जो सर्व विदित है और उक्त राम किशोर प्रसाद सिन्हा ने अपने हिस्से को सहर्ष स्वीकार करते हुए अलग भोग दखल करते हुए बिक्री भी कर चुके हैं।

यह भी ज्ञात रहे कि मुझ दानदाता की धर्मपत्नी का देहावासान हो जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेले पड़ गए थे तथा उस बुढ़ापे के समय में मेरा कोई भी बेटा अथवा पुत्रवधु को मुझसे कोई सरोकार नहीं रह गया था एवं ऐसी विकट परिस्थिति में दानदाता की दूसरी पुत्रवधु लेख्यधारनी दानग्रहित्री श्रीमती सोनिया सिन्हा ने अपनी सास के मरने के बाद अर्थात् 1996 से ही अपने ससुर अर्थात दानदाता की देखभाल करना शुरू किया तथा उनकी हर तरह से सेवा सुश्रुसा, खान–पान, दवा–दारू एवं हर तरह के आराम पहुँचाने का सारा क्रिया कलाप

Krishna kishor pd sinha
सोनिया सिन्हा

करने लगी एवं आज तक उसी रूप में निःस्वार्थ भाव से दानदाता का पूरा-पूरा ख्याल रखते हुए नियमित रूप से उनका परवरिस करते हुए हर तरह से आराम पहुँचाने का काम करती आ रही है। इस तरह से मैं दानदाता दानग्रहित्री के सेवा-भाव से काफी संतुष्ट हैं।

उल्लेखनीय रहे कि अब मुझ दानदाता की काफी उम्र हो चुकी है एवं दानग्रहित्री के कार्य कलाप, सेवा भाव आदि किए जाने के कृत्य से वे काफी खुश एवं संतुष्ट हैं तथा इसी बात पर विचार करने के बाद दानदाता ने मन में यह स्थिर किया है कि मरने के पहले वे दानग्रहित्री के नाम से कुछ कर जावे ताकि मेरे मन में मरने के बाद किसी भी तरह का मलाल नहीं रह जाए एवं इसी भावना से उत्प्रेरित होकर मैं दानदाता ने पूर्ण सोच विचार करने के बाद यह तय किया है उपरोक्त जायदाद विवरण खाना में वर्णित सम्पति को दानग्रहित्री के नाम से दान कर दूँ ताकि उसके मन को शांति मिले।

एदतर्थ आज तारीख मैं दानदाता अपनी राजी-खुखी से स्वेच्छापूर्वक, बिना किसी के दबाव, बहकावे या प्रलोभन के स्वस्थ्य मन एवं प्रसन्नचित में रहकर स्वेच्छापूर्वक उपर खाना विवरण जायदाद में वर्णित सम्पति दानग्रहित्री को दान कर दिया जिसे दानग्रहित्री ने सहर्ष स्वीकार किया तथा इस दान पत्र पर अपना हस्ताक्षर बना दिया।

अब दानग्रहित्री मुझ दानदाता के दखल व सत्व से सत्ववती व दखलकारिणी होकर मय वारिशान व स्थालाभिषिक्तगण क्रम से दान, बिक्री मौरगेज, व नाना तरह के दाय संयुक्त व हस्तान्तरणादि करने का पूर्ण अधिकारिणी होकर स्वेच्छा अनुसार भोग दखल करती रहे इसमें में मुझ दानदाता को किसी प्रकार कोई उज्र एतराज नहीं होगा और न मेरे वारिशान कर सकेगा अगर कोई करे या करावे तो वह सरे अदालत नजायज वातिल होगा।

Krishna kishor. pd sinha
सोनिया सिन्हा

ATTESTED
8/8/018
NOTARY REGD No.-225/04
GOVT. OF JHARKHAND
HAZARIBAGH JHARKHAND

दान भुक्त सम्पति मुझ दानदाता के हिस्से का सम्पति है जिसका मैं दानदाता मालिक व दखलकार हूँ और दान भुक्त सम्पति को किसी तरह का हस्तान्तरण या अवाध्य नहीं किया हूँ यानि दान भुक्त सम्पति हर तरह से पाक वो साफ है।

अब दानग्रहितृ को चाहिए की दान में प्राप्त सम्पति को सरकारी सिरिस्ता में अपने नाम दर्ज करवाकर वार्षिक खाजाना आदि वसूल दिया करें व नगरपालिका कार्यालय में भी अपना नाम दर्ज करवाकर हॉल्डिंग टैक्स आदि वसूल दिया करें।

प्रकाश रहे कि दानभूक्त सम्पति का कीमत सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित किया गया है।

एदतर्थ अपने मन व शरीर की स्वस्थ्यता में रहकर बिना किसी के दबाव या बहकावे में यह दान पत्र दलील लिख दिया मजबून पढ़ वो पढ़वाकर सही पाकर इस दलील का सम्पादन निम्न गहवाहन के समक्ष कर दिया प्रमाण रहे इति तारीख – 02.06.2008 ई0।

घोषणा :- दान भुक्त सम्पति पक्की सड़क से 200 फीट से अधिक दूरी पर है एवं जिसमें 200वर्गफीट पर खपड़ैल छावनी का मकान है और जिसका निर्धारित दर से मुल्यांकन कर स्टाम्प शुल्क दिया गया है, तथा जिसका भू–हस्तान्तरण सत्यापन अचंलाधिकारी देवघर के पत्रांक– 1067/रा0 दिनांक– 29.05.2008 के द्वारा प्राप्त है।

गवाहन

Drafted by me
Sudhir Pd. Yadav.
Advocate
(Deoghar Court)
02/6/08.

कैफियत:-
दूसरा पन्ना के चौथा पांती में कटिंग के पास स्टो देकर ऊपर 200 कठिंठ में लिखा गया है जिसपर दाता का हस्ताक्षर है
Sudhir Pd. Yadav
2-6-08

Krishna Kishor Pd. Sinha

2.6.08

2.6.08

ATTESTED
8/6/17
NOTARY (REGD NO.-2250) GOVT. OF JHARKHAND

सोनिया सिन्हा
2. 6. 2008

दानग्रहित्री का छाया चित्र हस्ताक्षर एवं बांये हाथ का अंगुलियों का निशान

सोनिया सिन्हा

2 . 6 . 08

सोनिया सिन्हा

ATTESTED
8/10/10
NOTARY(REGD No.-225/04
GOVT. OF JHARKHAND
DEOGHAR(JHARKHAND)

Krishna kishor pd sinha

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज में लगे छाया चित्र वाले व्यक्तियों ने अपने बायें हाथ के अंगुलियों के निशान मेरे सामने दिया है।

Sudhir Prd. Yadav.
Advocate
2.6.08.

50 Rs

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रू.

50RS

FIFTY RUPEES

Krishna kishore pd Sinha

ATTESTED

NOTARY (REGD No.-225/04)

GOVT. OF JHARKHAND

बही सं० 1
जिल्द सं० 57 वाल्यूम 2008
पृष्ठ सं० 260 से 270 तक में निबंधित
निबंधन सं० 1895 वर्ष 08
200
2-6-08

2-6-08

ATTESTED
8/10/18
NOTARY(REGD No.-225/04
GOVT. OF JHARKHAND
DEOGHAR(JHARKHAND)

Krishnakishor pd sinha
सोनिया सिन्हा

B. PRASAD
S. V. Deoghar Court
L. No. 1/89
02/06/08

Stamp Clerk
Deoghar Treasury
S.S. + Dist. Deoghar
27/05/08

1662

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

00AA 736141

Krishnakishore Pd Sinha

शैलजा सिन्हा

इन्द्रदेव प्र० सिन्हा 10.9.2007

कृष्णा किशोर प्र० सिन्हा 10.9.2007

शैलजा सिन्हा 10/9/07

रामकिशोर प्र० सिन्हा 10/9/2007

1

बँटवारा - नामा दलील पत्र

प्रथम पक्ष:- श्री इन्द्रदेव प्रसाद सिन्हा पिता स्व० मुंशी गुदड़ी लाल
द्वितीय पक्ष:- श्री कृष्णा किशोर प्रसाद सिन्हा पिता श्री इन्द्रदेव प्रसाद सिन्हा
तृतीय पक्ष:- श्री मती शैलजा सिन्हा पति स्व० योगेन्द्र किशोर प्र० सिन्हा
चतुर्थ पक्ष:- श्री राम किशोर प्रसाद सिन्हा पिता श्री इन्द्रदेव प्रसाद सिन्हा
जाति कायस्थ पेशा क्रमश:- गृहस्थी वो गृहणि साकिनान
मोहल्ला विलियम्स टाऊन जटाही मोड़ थाना सबडीवीजन, सब रजिष्ट्री वो जिला देवघर।

लेख्य प्रकार!- बँटवारा नामा दलील प्रत्र।

कीमत - जायदाद!- प्रथमपक्ष के हिस्से की सम्पति का कीमत मो० 90,000) रुपये, वो द्वितीय पक्ष के हिस्से की सम्पति का कीमत मो०

ATTESTED 8.10.18

NOTARY REGD No.-225/04 GOVT. OF JHARKHAND DEOGHAR (JHARKHAND)

८०००) रुपये वो तृतीय पक्ष के हिस्से की सम्पत्ति का कीमत मो० ८०००) रुपये वो चतुर्थ पक्ष के हिस्से की सम्पत्ति का कीमत मो० ८०००) रुपये मात्र।

विवरण जायदाद:- निम्न तफसील सम्पत्ति क, ख, ग वो घ में दर्ज है।

विदित हो कि थाना देवघर के अन्तर्गत मौजा सलोनाटांड़ विलियम्स टाउन के अन्दर जमाबन्दी 29/3832 ए वार्ड नं 10 होल्डिंग नं 666 प्लाट नं० २८६ का अंश रकबा ८००० आठ हजार कोफीट जमीन को प्रथम पक्ष की पत्नी वो द्वितीय पक्ष वो चतुर्थ पक्ष की माता वो तृतीय पक्ष की सास श्रीमती धनेश्वरी देवी ने गत दिनांक 30/6/1976 ईस्वी निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक कीता खोश केवाला दलील (पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 22 पेज संख्या 164 से 167 तक में निबंधित जिसका दलील संख्या 3139 वर्ष 1978 ईस्वी के द्वारा श्री हृदय रंजन सिन्हा पिता स्व० राजेन्द्र नाथ सिन्हा ग्राम बैद्यनाथ धाम देवघर थाना देवघर के निवासी से खरीद कर निर्विवाद रूप मे दखल करती हुई आ रही है, धनेश्वरी देवी खरीदगी सम्पत्ति दखलकार वो भोगवती होकर (अपने नाम से) अपने नाम से अंचला-धिकारी देवघर से वार्षिक खजाना शेष अदाय करती हुई वो नगरपालिका का टैक्स अदाय करती हुई हकदार है, बाद उक्त जमीन प्लाट नं० २८६ का अंश रकबा ८००० कोफीट में से रकबा २५५२ कोफीट जमीन बिक्री कर चुकी है। खरीदगी सम्पत्ति शेष ५४४८ कोफीट जमीन पर धनेश्वरी देवी भोग दखल करती हुई अपने पीछे

ATTESTED
REGD NO 225/04
GOVT. OF JHARKHAND
DEOGHAR JHARKHAND

कृष्ण कि. प्र. सिन्हा
10.9.2007

[illegible] किशोर प्र. सिन्हा
10.9.2007

शैलजा सिन्हा
10/9/07

रामकिशोर प्र. सिन्हा
10/9/2007

पति प्रथमपक्ष को तीन पुत्र द्वितीय पक्ष श्री कृष्ण किशो
प्रसाद सिन्हा वो श्री योगेन्द्र किशोर प्रसाद सिंहा वो चतुर्थ
पक्ष श्री राम किशोर प्रसाद सिन्हा को छोड़कर स्वर्गवास
हो गयी हैं, योगेन्द्र किशोर प्रसाद सिन्हा की मृत्यु हो गया है
इस प्रकार तृतीय पक्ष पत्नी श्रीमती शैलजा सिन्हा हैं। इस
प्रकार हमलोग पक्ष उपरोक्त धनेश्वरी देवी की सम्पत्ति का हकदार
वो दखलकार होकर निर्विवाद रूप से भोग दखल करते आ रहे हैं

हमलोग पक्ष हिन्दु-मिताक्षरा कानुनद्वारा शासित
परिवार के सदस्य हैं हमलोग पक्ष का जमीन इजमाल है, तब
इजमाल जमीन रहने से आपस में झगड़ा-झंझट इत्यादि
होते रहता है जिसके चलते परिवार कलह के बीच रहना पड़ता
है, इस लिये हमलोग पक्ष आपस में प्रेम, भाव, बनाये
रखने के लिये इजमालजमीन को बाँट लेना ही उचित
समझा, अतः हमलोग पक्ष आपस के विचार विमर्श से
वो शुभ चिंतकों की उपस्थिति में रहकर इजमाल जमीन जमीन
का बाँट वारा कर लिया और यह बाँटवारा के अनुसार
निम्न तपसील 'क' में वर्णित सम्पत्ति प्रथम पक्ष के हिस्से
वो निम्न- तपसील 'ख' में वर्णित सम्पत्ति द्वितीय पक्ष के
हिस्से में रहा वो निम्न- तपसील "ग" में वर्णित सम्पत्ति
तृतीय पक्ष के हिस्से में रहा वो निम्न तपसील संख्या
'घ' में वर्णित सम्पत्ति चतुर्थ पक्ष के हिस्से में रहा

अतएव हमलोग पक्ष अपने अपने स्वेच्छा से
मन वो शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के
दबाव या बहकावे के यह बाँटवारा आमहलनामा लिए
अंगीकार वो स्वीकार करते हैं कि

Krishna Kishore Pd Sinha
शैलजा सिन्हा

ATTESTED
8/9/08
NOTARY(REGD No.-225/04
GOVT. OF JHARKHAND
DEOGHAR(JHARKHAND)

इन्द्रदेव प्र॰ सिन्हा
10.9.2007

दुबराज किशोर प्र॰ सिन्हा
10.9.2007

शैलजा सिन्हा
10/9/07

रामकिशोर प्र॰ सिन्हा
10/9/2007

4

(1) पक्षगण अपने - अपने हिस्से की प्राप्त सम्पत्ति को सहर्ष स्वीकार किये।
(2) पक्षगण अपने - अपने - हिस्से की प्राप्त सम्पत्ति को यथेच्छा, भोग, दखल, दान, बिक्री, मारगेज इत्यादि किया करेगें।
(3) कोई भी पक्ष मय वारिसान किसी एक दुसरे पक्ष के हिस्से की सम्पत्ति पर किसी प्रकार का दावा - दावी दखल - कब्जा इत्यादि नहीं कर सकेगें, अगर कोई भी पक्ष करें या करावे तो वह घरे - अदालय से नाजायज वो वातील समझा जायेगा
(4) पक्षगण अपने - अपने प्राप्त हिस्से की सम्पत्ति को सरकारी सिरिस्ता में नामान्तरण दर्ज कराके बजाप्ते अपने - अपने नाम से रसीद प्राप्त किया करेगें।

एतदर्थ हमलोग पक्ष अपने - अपने होश हवाश तबीयत में रहकर बिना किसी के दबाव या बहकावे के यह बँटवारा नामा दलील लिख दिया जो प्रमाण रहे इति तारीख 10/9/2006 ईस्वी।

तपसील - सम्पत्ति

(1) तपसील - सम्पत्ति 'क' जो प्रथम पक्ष इन्द्रदेव प्रसाद सिन्हा के हिस्से में रहा। थाना देवघर वार्ड नं॰ 10 जमाबन्दी नं॰ 21/3832 होल्डींग नं॰ 666 सामील मौजा सलोनारोड़ विलियम्सटाउन के अन्दर चौड़ी सटव की जमीन प्लाट नं॰ 2-8-6 रकवा 1848 स्कोयर फीट मय 5 कोठली ईंटा, खपड़ा छावनी मय कुल हकूक जिसकी चौहद्दी।—
उत्तर!- रास्ता दीवन :- कृष्ण किशोर प्रसाद सिन्हा का हिस्सा
पूरब!- 10'-0" चौड़ गली पश्चिम!- राजा बिहारी सिंह।

Krishna Kishor Pd Sinha
कृष्ण किशोर
10/9/2007

ATTESTED
8.10.18
NOTARY (REGD No.-225/04
GOVT. OF JHARKHAND
DEOGHAR, JHARKHAND

इन्द्रदेव प्र० सिन्हा 10.9.2007

कृष्णा किशोर प्र० सिन्हा 10.9.2007

शैलजा सिन्हा 10/9/07

रामकिशोर प्र० सिन्हा 10/9/2007

(2) तपसील - सम्पत्ति 'ख' जो द्वितीय पक्ष कृष्ण किशोर प्रसाद सिन्हा के हिस्से में रहा। थाना देवघर वार्ड न० 10 जमाबन्दी न० 21/3832 फ० होल्डींग न० 666 सामील मौजा सलोनाटांड़ विलियम्स टाऊन देवघर के अन्दर बसौड़ी सत्व की जमीन प्लाट न० 286 रकबा 1600 कोफीट मय (~~उत्तर~~) कुल हकुक जिसकी चौहद्दी।—

उत्तर :- इन्द्रदेव प्र० सिन्हा प्रथम पक्ष का हिस्सा।

दक्षिण :- शैलजा सिन्हा तृतीय पक्ष का हिस्सा

पूरब :- 10'-0" फीट गली।

पश्चिम :- राज बिहारी सिंह का मकान।

व नाप इस प्रकार है, पुरब से पश्चिम 64'-0" फीट लम्बा वो उत्तर से दक्षिण 25'-0" फीट चौड़ा।

इन्द्रदेव प्र० सिन्हा 10.9.2007

(3) तपसील सम्पत्ति 'ग' जो तृतीय पक्ष श्री मती शैलजा सिन्हा के हिस्से में रही। थाना देवघर वार्ड न० 10 जमाबन्दी न० 21/3832 फ० होल्डींग न० 666 सामील मौजा सलोनाटांड़ विलियम्स टाऊन देवघर के अन्दर बसौड़ी सत्व की जमीन प्लाट न० 286 रकबा 1600 कोफीट मय कुल हकुक जिसकी चौहद्दी।—

उत्तर :- कृष्ण किशोर प्र० सिन्हा द्वितीय पक्ष का हिस्सा।

दक्षिण :- राम किशोर प्र० सिन्हा चर्तुथ पक्ष का हिस्सा

पूरब :- 10'-0" फीट गली।

पश्चिम :- सरिता सिन्हा की मकान।

व नाप इस प्रकार है। पुरब से पश्चिम 64'-0" फीट वो उत्तर से दक्षिण 25'-0" फीट।

Krishna Kishore Pd Sinha
कृष्णा किशोर प्र० सिन्हा

ATTESTED 8/10/18
NOTARY (REGD No.-225/04)
GOVT. OF JHARKHAND
DEOGHAR (JHARKHAND)

(4) तपसील सम्पत्ति 'घ' जो चर्तुथ पक्ष राम किशोर प्रसाद सिन्हा के हिस्से में रहा थाना देवघर वार्ड न० 10 जमाबन्दी न० 21/3832 फ० होल्डींग न० 666 सामील मौजा सलोनाटांड़ विलियम्स टाऊन देवघर है।

10-9-2007

10.9.2007

10/9/07

10/9/2007

६

अन्दर वसौड़ी सब कोजमीन प्लाट नं० २८६ रकबा १६०० वर्गफीट जमीन मय कुल हकुक जिसकी चौहद्दी :–

उत्तर :– शैलजा सिंहा तृतीय पक्ष का हिस्सा।

दक्षिण :– (विजय चौबेका मकान) विजय चौबे का मकान

पुरब :– 10'–0" फीट गली।

पश्चिम :– सीता सिंहा का मकान।

वो नाप इस प्रकार है पुरब से पश्चिम ६४'–0" फीट वो उत्तर से दक्षिण २५'–0" फीट।

दस्तावेज का कैन को पढ़कर सुना वो समझा दिया

कां० नन्दलाल पंडित
डीडराइटर
देवघर
१०/९/2006

गवाहन

(1) Raj Bihari Singh
Williams Town near Jatahi More
B. Deoghar. dated. 10.9.07

(2) सरिता सिन्हा
विलीयम्स टाउन
10-9-2007

(3) Basu deb Jha 10.9.2007
William's Town, Deoghar

(4)

Krishna kishor. pd. sinha

ATTESTED
8.10.18
NOTARY(REGD No.-225/04
GOVT. OF JHARKHAND
DEOGHAR(JHARKHAND)